

14.01.23

पचावली आज पेठ हद्दी वळील प्राथमिक अनुपस्थित
प्राथमिक स्वयं अनुपस्थित प्राथमिक की मय
अधिवक्ता कोर्ट समय में तीग वार तीन-तीन
आवाजे दिली गडी बाकजू आवाजे दिलीने
के प्राथमिक एवं प्राथमिक के अधिवक्ता
अनुपस्थित अतः इस न्यायालय द्वारा जारी
ऑरिग निर्बंधाज्ञा दिनांक 30.11.2021 निरस्त
कर इतत उन्वाण प्रकार प्राथमिक की
अदम हाजरी अदम पैली में खारिज किया
जाता है पचावली कलल सुमार होकर
दालिल दफतर ही

पनी
सहायक कलक्टर
SDO (मुजभावा में)

